तारीख हुक्म	10/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.18	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. अपीलार्थी एवं प्रार्थी स्वयं उपस्थित। अपीलार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 02.04.18 को पेश हो।	
03/4/18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखवाया नहीं जा सका। अत: पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20.04.18 को पेश हो।	
20.04.18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन प्रस्तुत हुई। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23/5/2017 को निर्णय पारित करते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील स्वीकार की गई थी, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थी द्वारा मुख्य वजह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने यह अंकित की गई थी कि न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के तहत कुछ दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था किन्तु न्यायालय द्वारा न तो उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया एवं न ही अपील के निस्तारण के वक्त उक्त प्रार्थना पत्र का संज्ञान लिया गया, जिससे प्रकरण में विद्यमान विचारण बिन्दु के संदर्भ में उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

अभाव मे अपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो कि ऐरर अपरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रिकार्ड की परिभाषा मे सीधे तौर पर आता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील का निस्तारण प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष मे पुनः किया जावे।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान अपने उक्त प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था के साथ ग्राम पंचायत मालिकपुर से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं कार्यालय ग्राम पंचायत मालिकपुर से प्राप्त वारिसनामा मूल प्रस्तुत किया गया था जो कि मूल अपील के निस्तारण हेतु प्रमुख दस्तावेज थे जिनका अवलोकन एंव उन पर विवेचन किये बगैर ही न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23/5/17 पारित कर दिया गया है। अतः अपील के निर्णय को निरस्त फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन स्वीकार फरमाया जाकर अपील का पुनः निस्तारण किया जावे। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन मे RBJ 2011 पेज न. 288 (SC), RBJ-2016 पेज 262(SC) CJ Civil 2016 पेज 1999 राजस्थान,

RBJ-2009 पेज 786, RBJ 2012 पेज 578, RBJ-2007 पेज 364, RBJ 2005 पेज 432, RBJ 2006 पेज 345 उद्धरित की।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस मे निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की प्लीडिंग्स विरोधाभासी है क्युंकी वाद में तीन तथ्य एक साथ रखे गये है जिसमे प्रश्नगत आराजी का पैतृक होना, नुमाइशी विक्रय पत्र होना तथा प्रश्नगत आराजी का संयुक्त परिवार की आय से क्रय किया जाना अंकित किया है जो विरोधाभासी है। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस मे यह भी निवेदन किया कि पुर्नरावलोकन प्रार्थना पत्र मात्र ऐरर अपेरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रिकार्ड के आधार पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है जबकी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे ऐसी कोई त्रुटी विद्यमान नही है। अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में RRD 14-2-11 पृष्ठ स. 109, RRT 2014 (1) पृष्ठ स. 6, RRD 2007 पृष्ठ स. 888 उद्धरित करते हुये बहस मे निवेदन किया कि किसी प्रकार के गलत निर्णय को रिव्यु के माध्यम् से सही नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र पुर्नरावलोकन मय हर्जा खर्चा खारिज करवाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
उदयपुर

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान

पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे मुख्य रूप से उसके द्वारा अपील मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जो उसके द्वारा दिनांक 21/9/15 को प्रस्तुत किया गया था को रिकार्ड पर लिये जाने के संदर्भ मे या उसको निरस्त किये जाने के संदर्भ मे कोई आदेश पारित नही किया जाना एवं अपील के निस्तारण के दौरान उसका संज्ञान नही किये जाने की आपत्ति दर्ज की है। इस संदर्भ मे मूल अपील की आदेशिकाओ का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात दिनांक 15/7/2016 तक पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के बहस हेतु नियत की जाती रही। यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उक्त प्रार्थना पत्र पूर्व मे अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष विचाराधीन होने से उनके समक्ष ही प्रस्तुत हुआ था किन्तु राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना मे मूल अपील पत्रावली दिनांक 05/8/2016 को इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन आई एवं तत्पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के निस्तारण के

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

बगैर ही मूल अपील का निस्तारण कर दिया गया जो हमारी समझ मे एरर अपेरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रिकार्ड के तहत् पारित निर्णय की परिभाषा मे आता है। इस संदर्भ में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर RRD-14-2-2011 पृष्ठ सं. 109 प्रार्थी के पक्ष मे पढ़ी जाना आवश्यक है, जिसमे यह उल्लेख किया गया था कि माननीय मण्डल द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड पत्रावली पर नही छोड़ा गया है कि जिसका संज्ञान न्यायालय द्वारा नही लिया गया हो, जिसका तात्पर्य यह निकलता है कि प्रकरण के निस्तारण के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड का विवेचन होना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुर्नरावलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23/5/2017 निरस्त किये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल अपील पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जावे।

सदस्य अपील प्राधिकारी
जयपुर